

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(535/46)2022 / एफसीए / प्रमुवसं. / 5459  
मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा

दिनांक 29/03/2023

विषय:- Diversion of 32.3264 ha. Protected/Reserved forest land for widening (2 lane) of NH 12 Laxmipura-Dora- Dabi- Ranaji ka Guda Roads starts from T junction with NH 12 (Kota Bundi section) at Moheepura & terminates at 3 legged junction near Ranaji ka Guda in favour of Project Director (PPP) PWD Kota Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Road/29812/2017)

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 1399 दिनांक 14.03.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्र दिनांक 30.8.2022 का अध्ययन करें जिसके अनुसार प्रकरण में 5 वनखण्ड में से 4 वनखण्ड आर0वी0टी0आर0 के बफर क्षेत्र में आना बताया है। तदनुसार वन्यजीव स्वीकृति की प्रति चाही गयी है। किन्तु आप द्वारा मात्र वन्यजीव प्रस्ताव को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को भिजवाये जाने को लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न की गयी है। जबकि प्रस्ताव में वन्यजीव स्वीकृति की प्रति एवं वन्यजीव क्षेत्र आने के कारण प्रस्ताव में हुए बदलावों को भी प्रस्ताव के साथ पूर्ण किया जाकर सम्मिलित किया जाना है।
  - a) प्रस्ताव में संलग्न KML file, GT Sheet map and DGPS map में आर0वी0टी0आर0 के बफर क्षेत्र में पडने वाले वनभूमि एवं गैर वन भूमि को अंकित किया जावे।
  - b) लागत लाभ विश्लेषण नवीन एन0पी0वी0 की दरें एवं प्रस्ताव के वन्यजीव क्षेत्र में पडने से आये बदलाव के अनुसार प्रस्तुत करें।
  - c) पार्ट I के बिन्दु संख्या आई में वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में आवश्यक संशोधन किये जावे।
  - d) वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव में पडने वाले वन/गैर वन भूमि की संशोधित एरिया केलकुलेशन शीट संलग्न की जानी है।
  - e) पार्ट II के बिन्दु संख्या 8 में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार सूचना भरी जानी प्रस्तावित है।
  - f) वन्यजीव क्षेत्र में आने के कारण एन0पी0वी0 गणना संशोधित कर प्रस्तुत की जानी है।
  - g) उप वन संरक्षक बूंदी एवं मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार रिपोर्ट नही दी गयी है अतः उप वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक पुनः स्थल निरीक्षण किया जाकर अद्यतन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना है।
  - h) आर0वी0टी0आर0 के नाटिफिकेशन की प्रति संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीया,

Shikha  
( शिखा मेहरा )

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(535/46)2022 / एफसीए / प्रमुवसं. / 5460-61  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 29/03/2023

1. उप वन संरक्षक, बूंदी
2. परियोजना निदेशक, (पी0पी0पी0) सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा।

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर